न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : **144/2020**

अनवान :

1. हिरालाल पुत्र महेन्द्र उर्फ महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1. महेन्द्र उर्फ महेन्द्रसिंह पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।
2. शिवकुमार पुत्र महेन्द्र उर्फ महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।
3. पूजा पुत्री महेन्द्र उर्फ महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र कुमार : **वादी**
वकील श्री कृष्ण भारी : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 27.10.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 148/143/2 के मु0न0 60 के किला न0 14, 17, 21 ता 23 की 1.2650है0 मु0 न0 70 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10 की 2.0240है0 मु0 न0 71 के किला न0 4 ता 7 की 1. 012है0 मु0 न0 74 के किला न0 1, 2 की 0.5060है0 किला न0 3/1 की 0.0260है0 मु0 न0 75 के किला न0 5 की 0.2530है0 कुल 5.0860है0 जिसमें नहरी 3.5420है0 बारानी 1. 5440है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा सुलतानसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। सुलतानसिंह के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र उर्फ महेन्द्रसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:54 IST
Reason: SelfAttested

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा [illegible] से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है [illegible] हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को [illegible] उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए [illegible] ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] [illegible] किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 [illegible] आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने [illegible] किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 हिरालाल पुत्र महेन्द्रसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी जमाबंदी 3 जेएसएल प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा सुलतानसिंह से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में महेन्द्रसिंह के वारिसान में 2 पुत्र हिरालाल व शिवकुमार व 1 पुत्री पूजा व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं 3 पूजा ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 148/143/2 के मु0न0 60 के किला न0 14, 17, 21 ता 23 की 1.2650है0 मु0 न0 70 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10 की 2.0240है0 मु0 न0 71 के किला न0 4 ता 7 की 1.012है0 मु0 न0 74 के किला न0 1, 2 की 0.5060है0 किला न0 3/1 की 0.0260है0 मु0 न0 75 के किला न0 5 की 0.2530है0 कुल [illegible] है0 बारानी 1.5440है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] वादी प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार [illegible] प्रतिवादीया सं 3 पूजा ने अपना हक हिस्सा वादी [illegible] के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि [illegible] के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं हिरालाल प्रतिवादी सं 1 महेन्द्र उर्फ महेन्द्रसिंह प्रतिवादी सं 2 शिवकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

... किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ... मे सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

NOTE- दिनांक 27.10.2020 को पारित इस निर्णय में रोही मौजा भिरानी के स्थान पर रोही मौजा 3 जे०एस०एल० की वाद भूमि पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
23/12/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner